प्रतिलिपि क्रमांक 39/4/78-जीः एसः दिनांक 3-4-1978 को जो मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त आदि को सम्बोधित है।

विषय : लिपिकों/टाईपिस्टों के पदों को भरना।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र संख्या 1411-2 जीः एसः-74/6961, दिनांक 21 मार्च, 1974 की ओर दिलाऊं और यह कहूं कि समूचे मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि यद्यपि लिपिक के पद के लिए हिन्दी अथवा इंगलिश क्रमशः 25 तथा 30 शब्द प्रति मिन्ट स्पीड के हिसाब से टाईप का ज्ञान होना आवश्यक होगा तथापि, भर्ती के समय उम्मीदवारों का टाईप का टैस्ट न लिया जाए। इसके स्थान पर उनके लिए अपनी नियुक्ति के एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर टाईप का निर्धारित टैस्ट पास करना आवश्यक होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि को हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3980-जीः एसः I-75/25879, दिनांक 27 अगस्त, 1975 (प्रति संलग्न है) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों से नियमित किया जाएगा।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि 17-2-78 से पूर्वापेक्षी प्रभाव के साथ आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात उपर्युक्त निदेशों पर विभागीय सेवा नियमावली में कृपया संशोधन कर लिया जाए। उक्त निर्णय विभागों द्वारा नियमित रूप से टाईप टैस्ट लेने की परिकल्पना करता है और इसलिए इस नियमित आवश्यक पग उठाए जायें।

3. हरियाणा सरकार के संदर्भाधिन पत्र संख्या 1411-2जीः एसः I-74/6961, दिनांक 27 मार्च, 1974 में दिए गए अनुदेशों में उपर्युक्त सीमा परिवर्तन हो जाएगा।